

::आदेश::

उत्तर प्रदेश कार्मिक अनुभाग-1 की अधिसूचना संख्या-13/12/93-का-1-2013 दिनांक 08-05-2013 के क्रम में संस्थागत वित्त एवं कर निबन्धन अनुभाग-3 के पत्र संख्या-493 / 11-3-14-125/03 दिनांक 23-05-2014 में दिये गये प्राविधानुसार वाणिज्य कर विभाग में कार्यरत निम्नलिखित वाहन चालक ग्रेड-1 को कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से वाहन चालक विशेष ग्रेड (वेतन बैण्ड-2-9300-34800 सादृश्य ग्रेड वेतन 4600/-) के पद पर पदोन्नति प्रदान करते हुए अग्रिम आदेशों तक उन्हें वर्तमान तैनाती स्थान पर बनाये रखा जाता है :-

क्र० सं०	संशो० ज्ये० क्र० / पु० ज्ये० क्र०	कर्मचारी का नाम	पिता का नाम	वर्तमान तैनाती स्थान	चयन वर्ष
1	2	3	4	5	6
1-	48 / 143	श्री वजहुल कमर	श्री हाफिज इकबाल हुसैन	मुख्यालय	2019-20
2-	60 / 177	श्री नुरुस्सईद	श्री सईद अहमद	सीतापुर	2019-20
3-	64 / 160	श्री यूजिन गोम्स	श्री एम०आई०गोम्स	मुख्यालय	2018-19
4-	68 / 164	श्री अनिल कुमार शर्मा	श्री दुर्गाप्रसाद शर्मा	बरेली	2019-20
5-	70 / 167	श्री कृष्णाकान्त	श्री सन्तलाल	कानपुर	2019-20
6-	72 / 170	श्री राजेन्द्र प्रसाद	श्री मदेरन प्रसाद	वाराणसी	2019-20
7-	74 / 173	श्री राजेश प्रसाद श्रीवास्तव	स्व०श्री सतगुरु प्रसाद	सीतापुर	2019-20

2- उपरोक्तानुसार पदोन्नत कार्मिकों में से क्र०सं०-03, ज्येष्ठता क्रमांक 64 / 160, श्री यूजिन गोम्स से कनिष्ठ कार्मिक को वाहन चालक विशेष ग्रेड के पद पर चयन वर्ष 2018-19 हेतु आदेश दिनांक 09-07-2019 द्वारा पदोन्नति प्रदान की गयी है। अतः उपरोक्त पदोन्नत कार्मिक को भी तदनुसार उनसे कनिष्ठ कार्मिक की पदोन्नति की तिथि से वाहन चालक विशेष ग्रेड के पद पर नोशनल पदोन्नति प्रदान की जाती है। "नो वर्क नो पे" के सिद्धान्त के आधार पर इनको उक्त नोशनल पदोन्नति के लिए कोई एरियर आदि का भुगतान देय नहीं होगा।

3- सम्बन्धित नियंत्रक अधिकारियों को निर्देश दिये जाते हैं कि वह उपरोक्त पदोन्नत कर्मचारियों को पदोन्नति आदेश तामील कराते हुए वाहन चालक विशेष ग्रेड के पद पर कार्यभार ग्रहण करायें।

4- सम्बन्धित नियंत्रक अधिकारी / संभागीय अधिकारी कृपया यह अवश्य सुनिश्चित कर लें कि उपर्युक्त पदोन्नत कार्मिकों में से किसी कार्मिक के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही के अन्तर्गत आरोप पत्र / नोटिस निर्गत हो, सतर्कता जाँच / ई0ओ0डब्ल्यू जाँच चल रही हो तो ऐसे कार्मिकों पर यह पदोन्नति आदेश प्रभावी न मानते हुए उन्हे कार्यभार ग्रहण न कराए और और अधोहस्ताक्षरी को तत्काल सूचित करें।

5- वर्तमान में यदि कोई कर्मचारी स्तम्भ-5 में अंकित स्थान से स्थानान्तरित हो गया हो तो उसकी वर्तमान तैनाती का स्थान तदनुसार संशोधित मानते हुए सम्बन्धित नियंत्रक अधिकारी अपने स्तर से सम्बन्धित कर्मचारी को इस पदोन्नति आदेश की एक प्रति तामील कराते हुए कार्यभार ग्रहण करायेगें और इसकी सूचना मुख्यालय को भी उपलब्ध करायेगें।

(सूर्यमणि लालचंद)

एडीशनल कमिश्नर(प्रशा0)वाणिज्य कर
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

पृ0प0सं0 व दिनांक----उक्त-----

प्रतिलिपि :- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

- 1- सम्बन्धित जौनल एडीशनल कमिश्नर, ग्रेड-1 वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश।
- 2- सम्बन्धित ज्वाइन्ट कमिश्नर(कार्यपालक)वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश।
- 3- ज्वाइन्ट कमिश्नर (आई0टी0)वाणिज्य कर, मुख्यालय को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड हेतु।
- 4- सम्बन्धित डिप्टी कमिश्नर (प्रशा0) / आहरण वितरण अधिकारी, उत्तर प्रदेश।
- 5- सम्बन्धित वरिष्ठ कोषाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
- 6- सम्बन्धित कर्मचारियों को नाम से।
- 7- सम्बन्धित कर्मचारियों की सेवा पुस्तिका हेतु।

डिप्टी कमिश्नर(स्था0अरा0)वाणिज्य कर
मुख्यालय, लखनऊ।